# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 137 / 2023**

हिमांशु मील **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.), राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर–302005 (राज.)
2. उप शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.), राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर–302005 (राज.)
3. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.), जल भवन, 2–सिविल लाईन, जयपुर–302006 (राज.)
4. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.), सर्किल सीकर, सीकर–332001 (राज.)
5. राम करण मीणा वर्तमान में अधिशाषी अभियंता, नीम का थाना, सीकर–332713 (राज.)

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 06.01.2023

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, अभिभाषक

**प्रत्यर्थी सं. 5 की ओर से** : श्री सलीम खान, अभिभाषक

**अपील संख्या :– 6253 / 2022**

रामकरण मीणा **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर–302005 (राज.)
2. उप शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर–302005 (राज.)
3. हिमांशु मील अधिशाषी अभियंता पूर्व में कार्यालय अधिशाषी अभियंता, नीम का थाना, सीकर पदस्थापित।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 06.12.2022

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री सलीम खान, अभिभाषक

**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

**प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से** : श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, अभिभाषक

**आदेश की दिनांक** : 13.03.2023

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

# आदेश

उपर्युक्त वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त दोनों अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपील संख्या 6253/2022 श्री रामकरण मीणा में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक अभियंता के पद पर वर्ष 1998 में हुई थी और अक्टूबर, 2004 में अपीलार्थी को उपखण्ड, चौमू में पदस्थापित किया गया। फरवरी, 2007 में अपीलार्थी को कार्यालय अधिशाषी अभियंता खण्ड पानीपेच, जयपुर पदस्थापित किया गया। फरवरी, 2014 में अपीलार्थी को अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया और उसे खण्ड तृतीय नोर्थ मिस्त्री खाना, जयपुर पदस्थापित किया गया। जून, 2022 में अपीलार्थी को परियोजना खण्ड निवाई, टोंक पदस्थापित किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी को 10 दिवस की अल्पावधि में ही पुनः निवाई, टोंक से ड्रिलिंग खण्ड, जयपुर स्थानान्तरित किया गया और दिनांक 28.06.2022 को कार्यग्रहण किया। आदेश दिनांक 03.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी को नीम का थाना पदस्थापित किया गया, जिसकी पालना में दिनांक 04.09.2022 को अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 26.11.2022 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 25क एवं परिशिष्ट–ix के प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुये पुनः दो माह 22 दिवस की अल्पावधि में ही अपीलार्थी को अधिशाषी अभियंता, नीम का थाना, सीकर से हटाकर आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर कार्यालय में उपस्थिति देने को निर्देशित किया गया, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विरूद्ध है।

उनका यह भी कथन है कि इस प्रकार अति अल्पावधि में ही स्थानान्तरण किया जाना माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा रामेश्वर प्रसाद गुर्जर बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य नामक एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10827/2015 में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2015 में अनुचित माना है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण भी बिना किसी शिकायत के 2 माह 22 दिवस की अल्पावधि में ही स्थानान्तरण किया गया है जो अनुचित व विधि के विरूद्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 26.11.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

अपील संख्या 6253/2022 श्री रामकरण मीणा में प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत कर यह प्रतिवाद किया है कि विभागीय आक्षेपित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 26.11.2022 पूर्णतः प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण से जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में यह मत प्रतिपादित किया है कि आदेशों के नियमों के उल्लंघन अथवा दुर्भावना के आधार पर ही चुनौती दी जा सकती है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

अपील संख्या 6253/2022 श्री रामकरण मीणा में निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 श्री हिमांशु मील के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह बहस की है कि अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में भी नहीं रखा गया। अपीलार्थी के स्थानान्तरण होने के पश्चात् निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी के स्थान पर स्थानान्तरित किया गया और उसके द्वारा कार्यग्रहण भी कर लिया गया। आलोच्य आदेश दिनांक 26.11.2022 सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक कारणों से जनहित में जारी किया गया, जिसमें किसी प्रकार की कोई नियम विरूद्धता नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपील संख्या 137/2023 श्री हिमांशु मील में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी अधिशाषी अभियंता के पद पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नीम का थाना, सीकर में कार्यरत था। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आदेश दिनांक 26.11.2022 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सहायक अभियंता (परि.) परियोजना खण्ड, झुन्झुनू से अधिशाषी अभियंता, नीम का थाना,

सीकर पदोन्नति पर श्री रामकरण मीणा के स्थान पर कर दिया गया। आदेश दिनांक 27.11.2022 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 (श्री रामकरण मीणा) की अपील संख्या 6253/2022 श्री रामकरण मीणा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में अधिकरण ने उक्त अपील में निर्णय दिनांक 07.12.2022 पारित करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 26.11.2022 का क्रियान्वयन (Operation) पर Stay किया गया है। जिसकी पालना में निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 (श्री रामकरण मीणा) ने दिनांक 14.12.2022 को अधिशाषी अभियंता, खण्ड नीम का थाना, सीकर के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 03.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए उसे मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 (श्री रामकरण मीणा) को अधिशाषी अभियंता, खण्ड नीम का थाना, सीकर के आहरण एवं वितरण अधिकारी के कर्त्तव्यों सहित अन्य पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए भी आदेशित किया गया। यह आदेश बिना विवेक का उपयोग करते हुए निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 (श्री रामकरण मीणा) को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है। अपीलार्थी के आदेशों की प्रतीक्षा में, उसके मुख्यालय में बदलाव करते हुए प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 16.01.2023 (अनुलग्नक–11) के द्वारा राजस्थान, जयपुर से खण्ड नीम का थाना, सीकर कर दिया। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 17.01.2023 (अनुलग्नक–12) के द्वारा आदेश दिनांक 16.01.2023 को निरस्त करते हुए, अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने के आदेश दिनांक 03.01.2023 को भी एतद् द्वारा निरस्त किया। तत्पश्चात् अपीलार्थी ने दिनांक 18.01.2023 (अनुलग्नक–13) को अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड नीम का थाना, सीकर में कार्यभार ग्रहण कर लिया।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 03.01.2023 (अनुलग्नक–1) अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को अधिशाषी अभियंता, नीम का थाना, सीकर में कार्य करने के साथ ही आहरण एवं संवितरण अधिकारी का कार्य करने के भी निर्देश फरमाए जावें।

अपील संख्या 137/2023 श्री हिमांशु मील में निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 (श्री रामकरण मीणा) के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह बहस की है कि आलोच्य आदेश दिनांक 03.01.2023 अधिकरण के आदेश दिनांक 07.12.2022 के अनुसरण में जारी किया गया है और निजी प्रत्यर्थी संख्या 5

को यथावत कार्य करने का निर्देश दिया गया है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को आदेश दिनांक 03.09.2022 के द्वारा नीम का थाना पदस्थापित किया गया और बिना विचार किए ही दो माह 22 दिवस की अल्पावधि में ही उसका स्थानान्तरण कर दिया गया जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है, जिसके विरूद्ध अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य आदेश दिनांक 03.01.2023 में किसी प्रकार की कोई नियम विरूद्धता प्रकट नहीं होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें अपील संख्या 6253/2022 श्री रामकरण मीणा एवं अपील संख्या 137/2023 श्री हिमांशु मील के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से प्रकट होता है कि अपीलार्थी श्री रामकरण मीणा वर्तमान में अधिशाषी अभियंता के पद पर नीम का थाना, सीकर में कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिशाषी अभियंता के पद पर वर्ष 2014 से कार्यरत है और वर्ष 2022 में अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा लगभग चार बार किया जा चुका है। आदेश दिनांक 03.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी को अधिशाषी अभियंता, खण्ड नीम का थाना, सीकर पदस्थापित किया गया था और आलोच्य आदेश दिनांक 26.11.2022 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 (श्री हिमांशु मील) को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित करने के लिए मात्र 2 माह 22 दिवस की अति अल्पावधि में ही अपीलार्थी को खण्ड नीम का थाना, सीकर से स्थानान्तरित कर दिया गया, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रामेश्वर प्रसाद गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10827/2015 में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2015 में ऐसे स्थानान्तरण आदेशों को अनुचित माना है जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के स्थानान्तरण किए जाने का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। जहां तक अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का प्रश्न है हमारे विनम्र मत में राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 25क एवं परिशिष्ट–ix के प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का कोई कारण नहीं बताया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण अति अल्पावधि में किया जाना माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित विनिश्चयों के विपरीत है तथा उसे आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाना उक्त नियम के विरूद्ध है।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से प्रकट होता है कि अपीलार्थी श्री हिमांशु मील वर्तमान में अधिशाषी अभियंता के पद पर नीम का थाना, सीकर में कार्यरत है। उनका स्थानान्तरण/पदस्थापन उनकी पदोन्नति के उपरांत नीम का थाना, सीकर में अपीलार्थी श्री रामकरण मीणा के स्थान पर किया गया था, परंतु अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 26.11.2022 की क्रियान्विति को आदेश दिनांक 07.12.2022 को स्थगित कर दिया गया था, जिससे एक ही पद पर दोनों अपीलार्थी श्री रामकरण मीणा एवं श्री हिमांशु मील पदस्थापित बने रहे। जहां तक अपीलार्थी श्री हिमांशु मील अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति उपरांत अपीलार्थी (श्री रामकरण मीणा) के स्थान पर पदस्थापित किए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में आलोच्य आदेश दिनांक 03.01.2023 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि खण्ड नीम का थाना, सीकर में अधिशाषी अभियंता का एक ही पद है तथा एक ही पद पर दो कार्मिक/अधिकारी पदस्थापित हैं और एक पद पर दो कार्मिकों/अधिकारियों का पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम के विपरीत है। इस प्रकार अपीलार्थी श्री हिमांशु मील की अपील संख्या 137/2023 में किसी प्रकार का कोई बल प्रकट नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 137/2023 (श्री हिमांशु मील) बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है और अपील संख्या 6253/2022 (श्री रामकरण मीणा) में आलोच्य आदेश दिनांक 26.11.2022 (अनुलग्नक–1) उपर्युक्त नियमों एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए, अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग श्री हिमांशु मील का स्थानान्तरण/पदस्थापन करने के लिए स्वतंत्र है। अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 07.12.2022 का सम्पुष्ट (Confirm) किया जाता है।

मूल आदेश अपील संख्या 6253/2022 (श्री रामकरण मीणा) में रखा जाकर, के साथ अपील संख्या 137/2023 (श्री हिमांशु मील) टैग की जाती है एवं आदेश की छाया प्रति अपील संख्या 137/2023 (श्री हिमांशु मील) में रखी जावे।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**